

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
अपील संख्या 14/2025
बअनवान दीने खां वगैरह वनाम सरकार

नम्बर व तारीख
अहकाम
जो इस हुकम की
तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी- नवनीत कुमार, आई. ए. एस.

—:आदेश:—

दिनांक 12.08.2025

उपस्थिति:-

1. अपीलांटगण की तरफ से अधिवक्ता श्री याकुब खां मेहर।
2. रेस्पोंडेंटस की तरफ से राजकीय अभिभाषक श्री हरीराम चौधरी।

पत्रावली पेश। वकील अपीलांट उप। अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोंडेंट की ओर से राजकीय अभिभाषक उप। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली अप्राप्त है। जिस पर वकील अपीलांट ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं समस्त आदेशिकायें पत्रावली में प्रमाणित उपलब्ध है। अतः बहस सुन ली जाये। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांटगण ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी मौजा सीतोड़ाई तहसील फतेहगढ़ जिला जैसलमेर के खेत खसरा संख्या 150/01 रकबा 60 बीघा, खसरा संख्या 151 में रकबा 22 बीघा, खसरा संख्या 160 में रकबा 20 बीघा कुल रकबा 102 बीघा जो प्रार्थी के कब्जा-काश्त की भूमि है। अपीलांट एक कृषक है जो हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी को कृषि उपयोग में लेकर अपना जीवन यापन कर रहा है। अपीलांट का जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन कृषि ही है। जिस हेतु अपीलांट हस्तगत वादग्रस्त आराजी पर आधारित है। अगर प्रार्थी/अपीलांट्स को बेदखल किया जाता है तो प्रार्थी का जीवन दूभर हो जाएगा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश दस्जावेजात पर गौर किये बिना जल्दबाजी में पारित किया गया जो विधि की दृष्टि से दूषित है। अपीलाधीन आदेश छपा-छपाया आदेश पारित किया गया है। जो गुणावगुण पर पारित नहीं किया गया है। जिससे अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है। अपीलांट द्वारा लगातार हस्तगत आराजी का लगान अदा किया गया है। अपीलांट का खसरा परिवर्तनशील दस्तावेज अनुसार भी लगातार खुदकाश्त के रूप में लगातार कब्जा-काश्त रहा है। रेस्पोंडेंट अपीलाधीन आदेश की आड़ में हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी की भौतिक स्थिति परिवर्तन करने, अपीलांट को बेदखल करने एवं किसी सार्वजनिक कंपनी को आवंटन करने पर आमादा हैं। अगर

नवनीत कुमार
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

रेस्पोजेन्ट अपने उक्त मकसद में सफल हो गये तो अपीलान्ट को अपूर्णाय क्षति होगी जिसकी भरपाई भविष्य में की जानी संभव नहीं है। अतः स्थगन प्रार्थना-पत्र स्वीकार फरमाया जावे। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन अपीलान्टगण के पक्ष में हैं। अतः अपीलान्टस की अपील को स्वीकार फरमाया जावे।

वकील रेस्पोजेन्ट द्वारा अपीलान्ट के कथनों पर आपत्ति करते हुए निवेदन किया गया कि हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट केवल अतिक्रमी की हैसियत से ही काबिज-काश्त रहा है। वादग्रस्त आराजी सिवायचक दर्ज है। जो की राजकीय भूमि है। जिसमें किसी भी प्रकार का आदेश पारित करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होगा। वकील अपीलान्ट द्वारा दावे के साथ कोई मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। न ही सत्यापित प्रतियां है। सभी दस्तावेज फोटोप्रति के रूप में है जिनकी वास्तविकता साबित नहीं होती है। वादी को अपना वाद अपने पैरों पर खेड़े रह कर साबित करना चाहिये। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि उभयपक्ष की उपस्थिति में ही विधि सम्मत आदेश पारित किया जावे। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन रेस्पोजेन्टस के पक्ष में हैं। अतः अपीलान्टगण की अपील को खारिज फरमाया जावे।

वकील अपीलान्ट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना-पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया गया। अपीलान्ट हस्तगत प्रकरण वादग्रस्त आराजी का खरीददार है। राजस्व रिकॉर्ड की नकल ली तब अपीलान्टस को सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी हुई, जानकारी होते ही अपील श्रीमान जी के समक्ष पेश कर दी। बाद जानकारी यह अपील अन्दर म्याद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सदभाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।


वकील रेस्पोजेन्ट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना-पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन निर्णय में अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर अपीलान्ट द्वारा पेश प्रार्थना-पत्र खारिज किया गया है। जिसकी अपीलान्ट को पूर्ण जानकारी थी। किन्तु अपीलान्टस द्वारा हस्तगत अपील बावजूद जानकारी अत्यंत विलंब से पेश की है, जिसका कोई संतोषजनक कारण नहीं बतलाया है। ऐसी स्थिति में अपील सारहीन एवं म्याद बाधित होने से खारिज फरमायी जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना-पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन करने पर पाया कि हस्तगत अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के प्रार्थना-पत्र में पारित आदेश के विरुद्ध पेश की गई। प्रश्नगत आवेदन द्वारा चाहा गया अनुतोष की आराजी

(नवीन कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाहमेर

राजकीय भूमि होने से सुविधा व संतुलन अपीलांट के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है। मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उभयपक्षकारान के हकों का निर्धारण मूल वाद के निस्तारण पर ही संभव है। मूल दावे के विचारण में रहते अपील के स्तर पर अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील को खारिज करने योग्य ठहरती है। लिहाजा अपीलांटगण द्वारा पेश अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय प्रति प्रेषित की जावे। आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। उक्तानुसार पत्रवाली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, बाद आवश्यक कार्यवाही हेतु दाखिल दफतर हो।


14/2/2015
(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील (प्रौद्योगिकी अधिकारी)
बाड़मेर
बाड़मेर